कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक 662/आउशि/ गो.पु. /08 भोपाल,दिनांक 10.12.2008

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश

विषयः– शिक्षको के कार्य के मूल्यांकन मे पारदर्शिता लाने के संबंध में ।

–0–

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठको में प्रायः यह देखा गया है कि प्राध्यापको की गोपनीय चरित्रावली अंकित करते समय वरिष्ठ अधिकारी पर्याप्त ध्यान नही देते है, जिससे मूल्यांकन करने मे पदोन्नति समिति को परेशानी होती है । वर्तमान मे शिक्षको के मूल कार्य, पढ़ाने के काम, का कम उल्लेख होने के कारण अन्य गतिविधियो के आधार पर शिक्षको की ग्रेड़िग की जाती है, जिससे मेहनत करने वाले प्राध्यापको को पर्याप्त लाभ प्राप्त नही हो पाता है ।

अतः इस कमी को दूर करने के लिये राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष से प्रत्येक प्राध्यापक अपनी कक्षा का मूल्यांकन कर दिसम्बर माह मे प्राचार्य को अवगत करायें कि उनकी कक्षा मे कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होगें ओर जो उत्तीर्ण नहीं होगे उनको उत्तीर्ण करने के लिये अतिरिक्त प्रशिक्षण देने की क्या कार्य योजना है, साथ ही प्रत्येक शिक्षक के द्वारा पढ़ायी जाने वाली कक्षा का ओसत मूल्यांकन भी किया जाये, जिसमें सभी विद्यार्थियों के अंको को जोड़कर उनकी संख्या का भाग देकर औसत प्रतिशत निकाला जायेगा ।

1. 75 प्रतिशत से अधिक ओसत अंक प्राप्त करने वाली कक्षा को पढ़ाने वाले प्राध्यापको को उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जायेगा ।

2. 60 से 75 प्रतिशत अंक वाली कक्षा को बहुत अच्छी श्रेणी प्रदाय की जायेगी ।

निरंतर------

3. 50 से 60 प्रतिशत ओसत अंक लाने वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षको को अच्छा एवं 50 प्रतिशत से कम ओसत अंक वाली कक्षा को पढ़ाने वाले प्राध्यापको को ओसत से कम श्रेणी मे रखा जायेगा ।

एक से अधिक कक्षा पढ़ाने वाले शिक्षको की समस्त कक्षाओ का योग कर अंको का प्रतिशत निकाल कर उनका श्रेणीकरण किया जायेगा ।

कक्षा मे प्रवेश के समय छात्रो के ओसत अंको को आधार मानकर और यदि सम्पूर्ण कक्षा के ओसत मे 10 प्रतिशत से अधिक सुधार होता है तो संबंधित कक्षा को पढ़ाने वाले प्राध्यापको को उत्कृष्ट श्रेणी मे रखा जायेगा । सम्पूर्ण कक्षा के प्रतिशत मे सात प्रतिशत बढ़ोतरी होने पर बहुत अच्छा, पॉच प्रतिशत पर अच्छा मतांकन किया जायेगा ।

समस्त प्राचार्यो से यह अनुरोध है कि वे इस पद्वति के बारे मे प्राध्यापको से चर्चा कर अपना अभिमत 31 दिसम्बर 2008 तक प्रस्तुत कर दें ताकि कक्षाओ के प्रतिशत एकत्रित करने का कार्य विश्वविद्यालय से प्रारंभ कराया जा सकें ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृष्ठा.क्र. 663 / 888 / आउशि / गो-5 / 08 भोपाल,दिनांक 10.12.2008

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,उच्च शिक्षा,म.प्र.